ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 187-189

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

पिछड़ी जाति कि शिक्षित महिलाओं एवं अशिक्षित महिलाएँ तथा विवाह सम्बन्धी निर्णय

सविता गुप्ता
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, दाउद नगर महिला कॉलेज, दाउदनगर (बिहार), भारत

Received- 11.08.2020, Revised- 16.08.2020, Accepted - 18.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : *वर्तमान परिवार में महिलाओं की भूमिका को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। यद्यपि शादी–विवाह के मामलें में अभी भी अधिकांश निर्णय पुरुष सदस्यों द्वारा ही तय किये जाते हैं, परन्तु नगरीय परिवार में ये निर्णय माताओं द्वारा भी लिया जाने लगा है। स्वेच्छा से किये गये विवाहों का समर्थन भले ही पुरुष सदस्य समाज के डर से न करते हों, परन्तु महिला सदस्य स्वेच्छा विवाह का खुलकर समर्थन करती है और घर में आयी नववधू का धूमधाम से स्वागत करती है। हाँ, इस दृष्टि से शिक्षित महिलाओं की स्वीकृति का अनुपात अशिक्षित महिलाओं की तुलना में निश्चय ही अधिक है। अन्तर्जातीय विवाह की स्वीकृति देने अथवा अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से अशिक्षित महिलाएँ अभी अधिक रूढ़िवादी हैं। परिवार की अशिक्षित महिला सदस्य दूसरी जाति के वधू को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती, जबकि शिक्षित महिलाएँ ऐसे विवाहों को भी मान्यता प्रदान करने लगी हैं। दहेज और तिलक के प्रति भी आधुनिक परिवार की महिलाओं का रूख कमजोर पड़ गये हैं।*

कुंजीभूत शब्द– नजरअन्दाज, शादी–विवाह, अधिकांश, निर्णय, नगरीय परिवार, स्वेच्छा, समर्थन, सदस्य ।

अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया है कि तिलक–दहेज समाज के लिए अभिशाप है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिए। महिलाओं ने यह भी स्वीकार किया कि तिलक दहेज के लिये महिला सदस्य ही जिम्मेदार हैं। यदि वे अपनी मनोवृत्तियों को बदल दें और घर में इसका तीव्र विरोध करें तो यह प्रथा कमजोर पड़ सकती है। इस दृष्टि से शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं का उत्तर समान रहा। विवाह की उम्र और विवाह पद्धति के बारे में भी महिलाओं के विचार आधुनिकाकारी हो गये हैं। अब शिक्षित अथवा अशिक्षित दोनों ही महिलाएँ यह पसंद करने लगी हैं कि विवाह वयस्क होने पर ही किये जाने चाहिए तथा विवाह की पुरातन की जगह नयी विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, तलाक के मामले में अधिकांश अशिक्षित महिलाओं के विचार पुराने हैं अर्थात् वे इसे उचित नहीं मानतीं। शिक्षित महिलाओं में विचार भी इस दृष्टि से अपेक्षित आधुनिक नहीं हो पाये हैं। अतः स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय विवाह और तलाक आदि के मामले में अशिक्षित महिलाएँ परम्परावादी और रूढ़िवादी हैं। आधुनिक शिक्षा एवं नगरीकरण आदि ने उनपर विशेष प्रभाव नहीं डाला है, फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि महिलाओं की पारिवारिक स्थिति एवं निर्णय के परिवर्तन आया है और वे आधुनिक विचारों को अपनाने लगी हैं।

परम्परागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ण व्यवस्था में चार प्रमुख वर्ण समूहों का अस्तित्व रहा है जिन्हें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में स्पष्ट करते है। समाज में सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक आधारों पर परम्परागत रूप से ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ तथा शूद्रों की सबसे निम्न स्थिति है। वर्तमान भारतीय परिवेश में यदि आमतौर पर पिछड़े जातियों अथावा पिछड़े वग को परिभाषित किया जाय तो हम पाते है कि आज की पिछड़े जातियाँ इसी परम्परागत शूद्र श्रेणी की विभिन्न उपजातियों का विस्तार है जिसके उपर तमाम सामाजिक, आथिक, राजनैतिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ रही है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत् पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियों को आधुनिक आधारों पर सर्वप्रथम स्वतन्त्रता पूर्व अंग्रेजी सरकार ने स्पष्ट करने का प्रयास किया जिसके राजनितिक निहितार्थ थे, भले ही उस समय इस प्रयास का दायरा तथा इसका दृष्टिकोण अत्यन्त ही सीमित था, परन्तु इस संदर्भ यह ब्रिटिश सरकार के बाद के प्रयासों तथा भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात गठित किये जाने वाले आयोगों का आधार बना । बम्बई में सन् 1925, सरकारी प्रस्ताव के अन्तर्गत ब्राह्मण, मारवाड़ी, पारसी, ईसाई, बनियों और राजपूत जातियों को छोड़कर सभी को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया । यह ''ग्रान्ट इन एड काड'' पर आधारित था। सन् 1928 में आयोग ने पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत ऐसी जातियों एवं वर्गों को रखा जो शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े थे । इन वर्गों के अन्तर्गत दलित जातियों व वर्गों, आदिवासियों, पहाड़ी जनजातियों और अपराधिक पृष्ठभूमि वाली जनजातियों को सम्मिलित किया गया था "गोविन्द सिंह , 1990 पृष्ठ

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

[11]" । इसी तरह सन् 1929 में "इण्डियन सेन्ट्रल कमेटी" दलित वर्ग को अलग रखकर इनके साथ कुछ आदिवासियों को भी सम्मिलित किया 1930 में स्टार्ट कमेटी ने इसके आधार को और विस्तृत करते हुए बम्बई सरकार को यह संस्तुति की, कि दलित वर्गों के अन्तर्गत अश्पृश्यों को रखा जाय तथा अन्य विस्तृत वर्ग कों पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रखा जाये– (गैलेन्टर मार्क 1984, पृष्ठ 156) । बम्बई सरकार द्वारा 1930 में स्थापित स्टार्ट कमेटी ने पिछड़ी जातियों को तीन भागों में बाँटा था–

1– दलित वर्ग

2– आदिवासी एवं जंगली जाति

3– अन्य पिछड़ी जातियाँ ।

इस कमेटी को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत इस कमेटी ने पिछड़े वर्ग को मध्य वर्ग के अन्तर्गत रखने का विचार प्रगट किया। बाद में साइमान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में एवं मध्यम वर्ग का जिक्र किया लेकिन इसमें पिछड़े वर्गों का उल्लेख नहीं किया, हॉलांकि यूनाईटेड प्राविन्सेज में इण्डियन फ्रेन्चाइज कमेटी के समक्ष सुनवाईयों में पिछड़े वर्गों का उल्लेख किया गया । संयुक्त राष्ट्र में इण्डियन फ्रेन्चाइज कमेटी की बैठक में फैजाबाद के उपसमाहर्ता में यह संस्तुति की थी कि दलित वर्ग में अश्पृश्यों एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया जाये। डॉ0 एस0एस0 नेहरू ने भी दलित वर्ग भी एक सूर्या प्रस्तुत करते हुए यह निर्देशित करना चाहा कि दलित वर्ग के अन्तर्गत घुमक्कड़ जनजातियों को भी सम्मिलित किया जाये । यूनाइटेड प्राविन्सेज हिन्दू वैकवर्ड क्लासेज लीग ने 115 पिछड़ी जातियों की सूची प्रस्तुत की । जिसमें सभी जातियां सम्मिलित थी। इस तरह 1930 के पश्चात् भारत में पिछड़े वर्गों का उल्लेख अक्सर होने लगा । बम्बई समाज सुधार संगठन 1903 बहिष्त हितकारणी संघ 1924, मद्रास पिछड़ा वर्ग लीग 1984, संयुक्त प्रान्त पिछड़ा वर्ग लीग 1929 आदि को पिछड़े वर्ग, पिछड़े संयुक्त पिछड़े हिन्दू और गैर ब्राह्मण आदि जैसे नामों का उल्लेख किया। इस प्रकार इन संगठनों एवं लोगों के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप गैर दर्ज हिन्दू समाज में शूद्र वर्ग को हिन्दू समाज में शूद्र वर्ग के लोगों को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रखा गया, ये सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े थे तथा इनकी जनसंख्या 60 प्रतिशत के उपर थी (आर0एन0 द्विवेदी, 1987, पृष्ठ–91 और आर0पी0 मिश्र, गुरविन्दर और, 1990 पृष्ठ–147)।

हॉलांकि पिछड़े वर्ग में विभिन्न पिछड़ी जन जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें परिभाषित करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आधारों पर प्रयोग किया गया और उसके लिए भी कभी विछिन्न तो कभी समेकित प्रयास किये गये। लेकिन ब्रिटिश काल से लेकर आज तक विभिन्न आधारों और दायरों को स्पष्ट नहीं किया जा सका है और ये सदैव की भाँति आज भी विवादों के केन्द्र में है । इस दिशा में संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया निष्कर्ष अपेक्षा.त सार्थक और वैधानिक थे। ये निष्कर्ष निम्नवत् थे–

प्रथम– ' पिछड़े ' विशेषण का प्रयोग नौकरियों में आरक्षण के क्षेत्र को संकुचित करने के लिये किया ।

द्वितीय– ' पिछड़े वर्ग ' के निर्धारण के आधार के बारे में मतैक्य नहीं था । सामान्य तौर पर यह विचार था कि भारत में आर्थिक आधार पर कोई पिछड़ा वर्ग नही होगा। पिछड़ा वर्ग होने के लिये सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ापन आवश्यक होगा । आर्थिक पिछड़ापन भी उसमें सम्मिलित होगा क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन ज्यादा विस्तृत भावार्थ माना गया था।

तृतीय– पिछड़े वर्ग के नामकरण के बावजूद इसका तात्पर्य जातियों एवं समुदायों की सूची से था। विधि मंत्री डॉ0 अम्बेडकर ने संशोधनो की आवश्यकता पर बल देते हुये स्पष्ट किया कि । ' जिन्हें ' हम पिछड़ा वर्ग कहते है वे कुछ निश्चित जातियों के संग्रह के अलावा कुछ नहीं है ।

चतुर्थ– पिछड़े वर्ग का तात्पर्य दलित वर्ग या अनुसूचित जातियो तक सिमित नहीं माना गया इसके अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित माने गये ।

पंचम– पिछड़ेपन के निर्धारण में सरकार की मुख्य भूमिका मानी गयी ।

षष्टम – यह भी महसूस किया गया कि इसके अन्तर्गत कुछ ज्यादे विकसित वर्गों के लिये साम्प्रदायिक कार्य की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।

सप्तम– पिछड़ापन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अनेक तत्वों का संग्रहित रूप है।

अष्ठम– नौकरियो में आरक्षण की अवधि सीमा स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि पण्डित ह्रदय नाथ कुंजरू की दस वर्ष की अवधि सीमा थी । कलकत्ता मे 15 वर्ष की अवधि की सीमा स्वीकार नहीं हुई।

नवम– गरीबी पिछड़ेपन के साथ । आर्थिक रूप से विश्लेषण लगाने सम्बन्धी प्रो0 के0 टी0 शाह के सुझाव अस्वीकार कर दिया (बी0सी0मिश्रा 1991 पृष्ठ 310) ।

पिछड़े वर्ग में पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों को शामिल करते हुए भारत में इनके वर्गीकरण को राष्ट्रपति के आदेश पर इनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया है या किया जा सकता है । परिभाषित तौर पर इनके बारे में कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियाँ वे हैं जो एक लम्बे समय से उच्च जातियों द्वारा शोषित रही है तथा

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत राष्ट्रपति जारी किये गये 15 आदेशों द्वारा उल्लिखित है उनको हरिजन अथवा दलित जातियाँ भी कहते है । डॉ० डी०एम० मजुमदार के अनुसार " अनुसूचित जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक निर्योग्यताओं की शिकार रही है । इनमें अपनी निर्योग्यताएं परम्परागत तौर पर निर्धारित है तथा सामाजिक तौर पर लागू है।

डॉ० सी०बी० मावरिया का कहना है कि " अश्पृश्य या दलित एक निश्चित परिभाषा के अर्न्तगत नहीं आते। इसके अन्तर्गत न केवल जातिगत श्रेणियों में सामाजिक एवं धार्मिक निर्याग्यताएँ हैं बल्कि आर्थिक स्थिति भी शामिल है।

इस प्रकार तमाम परिभाषित प्रयासों के बावजूद हम यह पाते हैं कि पिछड़े वर्ग या पिछड़ी जातियाँ ब्रिटिश काल अथवा स्वन्त्रता के पश्चात भारतीय समाज मे अचानक उत्पन्न हुआ, कोई विशेष वर्ग अथवा जाति समूह नहीं था बल्कि यह परम्परागत रूप से भारतीय समाज के शुद्रों की ही पुर्नपरिभाषा थी और इसकी सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के उन्मूलन का परिणाम है । हालांकि सिर्फ शूद्र वर्ग या उसकी निर्योग्यताओं तक सीमित नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से यह अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य धार्मिक समूह तक विस्तृत है तथापि इसके निर्माण के आधार वही परम्परागत ही है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंगारा, रमनम्मा : पोजीशन ऑफ वीमेन इन इण्डिया समाज विज्ञान में पी–एच०डी० थीसीस, पूना विश्वविद्यालय पूना, 1969.
2. अली बेगतारा : इण्डियाज वीमेन पावर, न्यू देल्ही एस० चॉद एण्ड को०, 1966.
3. कापाडिया, के० एन० : चेंजिगं पैटर्न ऑफ हिन्दू मैरिज, सोसियोलॉजिकल बुलेटिन, वर्ण 3, अंक–2 सितम्बर, 1954 वी०।

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*